



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र खेमराज नि० नया रामनगर (अजनारी रोड) थाना कोतवाली उर्ई जनपद जालौन द्वारा की गयी हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली उर्ई में मु०अ०सं० 05/2020 (वाद संख्या – 102/2020) धारा 302/201 भादवि पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 20.09.2023 को मा० न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश उर्ई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 1,25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 04.01.2020 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 03 वर्ष 09 माह में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



DGC क्रिमिनल लखन लाल
निरंजन



कोर्ट पैरोकार राहुल लवानियाँ

✕ @jalaunpolice

📷 jalaunpolice

f JalaunPolice